

Admission Process

(प्रवेश प्रक्रिया)

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार की धारा 12.1.(ग) क्या है ?

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) .(ग) में

प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गैर-सहायित मान्यता प्राप्त निजी-विद्यालयों में पहली कक्षा / पूर्व प्राथमिक (Entry level class) में आस पास (Neighbourhood) के दुर्बल वर्ग / अलाभित समूह के बच्चों को उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश दिया जाएगा। यह प्रावधान कक्षा-8 तक लागू रहेगा।

किन विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं ?

उक्त अधिनियम की यह व्यवस्था समस्त **गैर-सहायित मान्यता-प्राप्त निजी-विद्यालयों** में लागू होगी।

शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त के अतिरिक्त सी.बी.एस.सी. (CBSE) एवं आई. सी. एस. ई.(ICSE) बोर्ड के विद्यालयों पर भी यह व्यवस्था लागू है। आप अपने आस-पड़ोस (**Neighbourhood**) जो की शहरी क्षेत्र में **वॉर्ड** तथा ग्रामीण क्षेत्र में **1 किलोमीटर** है, के किसी भी मान्यता प्राप्त गैर अल्पसंख्यक विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने की पात्रता क्या है अथवा इसमें कौन-कौन से दस्तावेज़ लगेंगे ?

आवेदन करने की पात्रता तथा दस्तावेज़ों की जानकारी निम्नलिखित है :

| | 1. आलाभित समूह | 2. दुर्बल वर्ग |
|-------------------------|--|--|
| योग्यता | अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) विकलांग / विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता निराश्रित / बेघर / निःशक्त बच्चा | वार्षिक आय 1 लाख से कम |
| आवश्यक दस्तावेज़ | 1. निवास प्रमाण पत्र - आधार कार्ड/ वोटर कार्ड / पासपोर्ट / राशन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / कोई अन्य सरकारी निवास प्रमाण पत्र (कोई एक) | 1. निवास प्रमाण पत्र - आधार कार्ड/ वोटर कार्ड / पासपोर्ट / राशन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / कोई अन्य सरकारी निवास प्रमाण पत्र (कोई एक) |
| | 2. जाति प्रमाण पत्र / पेंशन पासबुक / विकलांग प्रमाण पत्र (कोई एक) | 2. आय प्रमाण पत्र |
| | 3. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र* | 3. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र* |

*नगर निगम का प्रमाण पत्र / अस्पताल का कार्ड / आँगनवाड़ी का कार्ड / कचहरी से बना शपत पत्र (अफिडेविट) (कोई एक)

आस पड़ोस (Neighbourhood) की परिभाषा:

| | |
|---------------------------------|--|
| शहरी क्षेत्र (Urban Area) | वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में आस-पड़ोस की परिभाषा 'वॉर्ड' (WARD) है जोकि पहले 1 किलोमीटर थी । |
| ग्रामीण क्षेत्र (Rural Area) | ग्रामीण क्षेत्रों में आस-पड़ोस की परिभाषा वर्तमान में भी 1 किलो मीटर ही है । |

आयु के मानदंड :

- यदि अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि (01 अप्रैल) को बच्चे की आयु 03 वर्ष से अधिक एवं 06 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय द्वारा **पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं** में सुनिश्चित किया जाएगा, जैसे- नर्सरी, के.जी. आदि।
- यदि ऐसे बच्चे जिनकी आयु अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि (01 अप्रैल) को 06 वर्ष या उससे अधिक एवं 07 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय द्वारा **कक्षा-1** में सुनिश्चित किया जाएगा ।

शहरी क्षेत्रों में आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन

1. शहरी क्षेत्रों में आवेदन की प्रक्रिया **ऑनलाइन** है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेब पोर्टल <http://rte25.upsdc.gov.in> पर मोबाइल नंबर से रेजिस्ट्रेशन करें एवं यूजर मैनुअल की मदद से ई-फॉर्म भरें।
2. आप अपने वॉर्ड (ward) के किसी भी मान्यता प्राप्त, गैर-अल्पसंख्यक निजी-विद्यालय का नाम भर सकते हैं। वॉर्ड भरते ही आपको उस वॉर्ड में स्थित विद्यालयों की सूची दिखाई देगी, आपको प्रदर्शित सूची में से ही विद्यालय भरना है।
3. यदि आप एक से अधिक निजी-विद्यालयों का नाम देना चाहते हैं तो ई. फॉर्म में वरीयता के क्रम के आधार पर वॉर्ड के विद्यालयों का विकल्प भरें। आवेदक कम से कम 1 और अधिकतम 10 अपने पसंद के विद्यालयों का विकल्प दे सकते हैं। उदाहरण के लिए :
 - I. पहली प्राथमिकता का विद्यालय
 - II. दूसरी प्राथमिकता का विद्यालय
 - .
 - .
 - x. दसवीं प्राथमिकता का विद्यालय
4. सारी जानकारी भरने के बाद पोर्टल के आवेदन पेज पर फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

5. फॉर्म पूरा हो जाने पर आवेदक अपना आवेदन "Student Application Form 2018 Preview" देख सकते हैं। आवेदक ध्यान से आवेदन फॉर्म की जाँच करें। अगर दी गए सारी जानकारी सही है तो "Lock and Final Print" पर क्लिक करें और 'Final Print' लें ।
6. अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, तथापि यदि किन्हीं कारणों से कतिपय अभिभावकों द्वारा प्रवेश हेतु ऑफलाइन आवेदन किया जाता है, तो ऐसे प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सत्यापित कराके वेब पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी ।

सत्यापन :

- अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों के नामांकन के लिए किए गये आवेदनों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को वेबपोर्टल पर 'BSA लॉगिन' में उपलब्ध होगी ।
- यदि किसी अभिभावक द्वारा एक बच्चे हेतु एक से अधिक बार नामांकन हेतु आवेदन किया गया है तो उसके द्वारा आवेदित अंतिम आवेदन पत्र के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी ।
- ऐसे आवेदन पत्र जो निरस्त किए गये हों, उनका विवरण पृथक से रखा जाएगा एवं निरस्तीकरण का कारण भी दर्ज किया जाएगा ।

लॉटरी :

- अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन जनपद स्तर पर केंद्रीकृत लॉटरी के आधार पर किया जाएगा । लॉटरी प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की गयी है :
 - सर्वप्रथम प्रत्येक अभ्यर्थी को एक रँडम(Random) लॉटरी नंबर आवंटित किया जाएगा।
 - लॉटरी नंबर के आरोही क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी वरीयता के आधार पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा ।
- स्कूल एवं आवेदक पोर्टल पर आवंटित छात्रों की सूची की जांच कर सकेंगे ।
- लॉटरी के उपरांत चयनित एवं निरस्त अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस (SMS) के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाएगी ।

प्रवेश :

- अभिभावक द्वारा बच्चों के प्रवेश हेतु किए गये आवेदन पत्रों में से ऐसे आवेदन पत्र जो पूर्व प्राथमिक के लिए हैं, ऐसे बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय द्वारा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सुनिश्चित किया जाएगा, यदि उस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ संचालित होती हो । पूर्व प्राथमिक की किस कक्षा (जैसे- नर्सरी, KG. आदि) में बच्चे का प्रवेश लेना है, ये निर्णय विद्यालय द्वारा लिया जाएगा ।

- अभिभावक द्वारा बच्चों के प्रवेश हेतु किए गये आवेदन पत्रों में से ऐसे आवेदन पत्र जो कक्षा 1 के लिए चुने गये हैं, ऐसे बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय द्वारा कक्षा-1 में सुनिश्चित किया जाएगा ।
- अभ्यर्थी के विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया के समय विद्यालय द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अभ्यर्थी का आवेदन नंबर दर्ज किया जाएगा एवं प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी ।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विद्यालयवार प्रवेश की स्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी ।
- यदि किन्हीं कारणों से विद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा वेब पोर्टल पर सूचित किया जाएगा ।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामांकन के उपरांत सम्पूर्ण सूची शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान को उपलब्ध करायी जाएगी जिसके आधार पर शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही करायी जाएगी ।
- प्रत्येक चरण में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विद्यालयवार बच्चों की सूची- जन्मतिथि वार, कक्षावार, लिंगवार, वर्ग वार (अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग) पोर्टल पर प्रदर्शित की जायगी। माह अगस्त में उपरोक्तानुसार जनपद की पूर्ण सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन की प्रक्रिया

- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन **मेनुअल** है।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन करने वाला मेन्युअल फॉर्म पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
- ❖ इसे पूरा भर कर ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें। दस्तावेज़ों पर अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होना आवश्यक है।
- ❖ फॉर्म जमा हो जाने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी उसे संभाल कर रखें ।
- ❖ आवेदन की वर्तमान स्थिति जानने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें ।
- ❖ विद्यालय आवंटित हो जाने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से चिठी लेकर आवंटित विद्यालय में संपर्क करें तथा अपने बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित करें ।

Citizen Request : अभिभावकों द्वारा यदि उनके घर के आस पास कोई विद्यालय है, जिसका विवरण जनपद के आँकड़े में उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में अभिभावकों के लिए पोर्टल पर 'Citizen Request' की सुविधा होगी जिसमें वो ऐसे विद्यालय का नाम अन्य विवरण के साथ दर्ज करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर प्राप्त ऐसे विद्यालयों की प्रमाणिकता की जाँच कराकर सही होने की दशा में विद्यालय को मास्टर डेटा में सम्मिलित कराया जाएगा ।

Prepared by Rightwalk Foundation

For any query, please leave a missed call at 80 00 96 78 74

www.rightwalk.org | team@rightwalk.org | Addr: 295, Dream Villas, Eldeco Greens, Gomti Nagar, Lucknow - 226010